न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 18/2018

अपीलांट

जोगाराम पुत्र अचलाराम जी जाति साटिया उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम बीठु तहसील रोहट जिला पाली हाल निवासी डूंगरपुर तहसील रोहट जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. भुंडाराम पुत्र वचनारामजी
2. मांगीलाल पुत्र. तेजा जी गोद पुत्र भुंडाराम
3. भंवरी पत्नी मांगीलाल
4. ककाराम पुत्र रूपाराम
5. घेवरराम पुत्र रूपाराम जातिगण देवासी राईका निवासीगण ग्रम बीठ तहसील रोहट जिला पाली।
6. चैनाराम पुत्र हीराराम जाति पटेल निवासी ग्राम बीठु तहसील रोहट जिला पाली।
7. स्टेट जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री नारायणलाल कुमावत , विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 04

शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 07 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 25.07.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या 665/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अत उक्त पक्षकरान के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम बीठू में स्थित खसरा नंबर 240/7 रकबा 25 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, जिस अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया, उसके पश्चात गुणवागुण पर प्रकरण में सुनवाई कर दिनांक 09.03.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट की उक्त आराजी के के संबध में 183 बी आर.टी. एक्ट के प्रकरण संख्या 4/2015 की सुनवाई के दरमियान तहसीलदार रोहट द्वारा गठित कर अपीलांट की उक्त कृषि भूमि का दिनांक 14.08.2015, 18.10. 2015, 04.02.2017, 09.12.2015 मौके पर जाकर सीमांकन करते हुये भू अभिलेख निरीक्षक बीठू एवं हल्का पटवारी बीठू द्वारा उक्त रिपोर्ट पेश की गई। उक्त समस्त मौका रिपोर्ट से यह स्पश्ट है कि अपीलांट के मालिकाना हक की कब्जा शुदा काश्तशुदा खसरा नंबर 240/7 रकबा 25 बीघा मौके पर सीमांकित है तथा संपूण्र रकबे पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 243/68 अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 240/7 से बहुत दूर है जो नक्शा शीट से स्पष्ट है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के खसरा नंबर का दूर–दूर तक कोई संबध नहीं है। अपीलांट एक अनूसूचित जाति का व्यक्ति है जबकि रेस्पोडेन्ट सामान्य जाति के व्यक्ति है। अपीलांट की कृषि भूमि सीमांकित हो चुकी है तथा तहसीलदार रोहट ने अपने निर्णय दिनांक 19.04.2017 के जरिये अपीलांट को पूर्ण कब्जा दिलाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 देवासी (राईका) जाति के नोन एसी जाति के व्यक्ति है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 243/68 पर खसरा नंबर 241 का एलोटेड व्यक्ति उकाराम अतिक्रमण कर बेठा है जिस संदर्भ में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 30. 04.2019 निर्णय पारित किया गया। जिसमे अपीलांट की कृषि भूमि का कोई संबध नहीं है। अपीलांट की कृषि भूमि का किसी भी प्रकार का कोई संबध नहीं है। उक्त तथ्यो की पुष्टि माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपील संख्या 1960/2019 अपने आदेश दिनांक 24.06.2019 का पारित कर उक्त तथ्यो की पुष्टि की गई है। तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त अपील से पक्षकार हटाया गया है, जिसकी सहमति रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा दी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गई हैं जिससे यह स्पष्ट है अपीलांट की खातेदारी तरमीम शुदा कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 240/7 से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 से कोई संबध नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को अपीलांट की मालिकाना हक की तरमीम शुदा कब्जा शुदा खातेदारी की कृषि भूमि को उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किये जैर अपील आदेश पारित किया हैं जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम बीठू में स्थित खसरा नंबर 240/7 रकबा 25 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, जिस अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया, उसके पश्चात गुणवागुण पर प्रकरण में सुनवाई कर दिनांक 09.03.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 240/7 तरमीम नहीं है। खसरा नंबर 240 का मूल रकबा 131 बीघा 14 बिस्वा है। उक्त मूल खसरा नंबर 240 में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 240/7 रकबा 25 बीघा कहां अवस्थित है इसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं है, जिससे उक्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कदीमी से कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं एक अस्थाई नि ोधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम बीठू में स्थित खसरा नंबर 240/7 रकबा 25 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, जिस अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया, उसके पश्चात गुणवागुण पर प्रकरण में सुनवाई कर दिनांक 09.03.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। वादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांट ने पूर्व में तहसीलदार रोहट के समक्ष 183 बी आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार रोहट के समक्ष सुनवाई के दौरान नायब तहसीलदार/भू अभिलेख निरीक्षक /हल्का पटवारी से मंगवाई गई रिपोर्ट दिनांक 14.08.2015, 18.10.2015 एवं 02.02.2016 से यह स्प ट है कि अपीलांट के खसरा नंबर 240/7 से रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नंबर 243/68 से कोई संबध में नही है। एवं तहसीलदार रोहट ने अपने निर्णय द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 240/7 रकबा 25.00 बीघा किस्म बारानी दोयम में से करीब 25 बीघा कृषि भूमि से रेस्पोडेन्ट का अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया, उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 03.05.2017 को हल्का पटवारी बिठू एवं पुलिस थाना अधिकारी मय जाब्ता की मौका रिपोर्ट में यह स्प ट अंकन है कि "उक्त खातेदार जोगाराम के नाम ग्राम बीठू के खसरा नंबर 240/7 रकबा 25.00 बीघा भूमि है। वादी जोगाराम का मौका कब्जा में 16.17 बीघा भूमि है शेष रकबा 08.03 बीघा भूमि माननीय तहसीलदार रोहट में प्रकरण संख्या राजस्व/विविध 04/2015 अनवान जोगाराम बनाम भूंडाराम में निर्णय दिनांक 19.04.2017 की पालना में मूल खसरा जो 240/2 में अतिक्रमी भूंडाराम पुत्र वचनाराम जाति देवासी निवासी बीठू को रकबा 8.03 बीघा अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर मौके पर उक्त आराजी का कब्जा अपीलांट जोगाराम को सुपुर्द किया गया।" उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 240/7 रकबा 25 बीघा पर अपीलांट जोगाराम का कब्जा काश्त है। इसके अतिरिक्त जहां तक खसरा नंबर 243/68 रकबा 15 बीघा का प्रश्न है तो हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त आराजी के संबध में अपील संख्या 01/2019 बउनवान उकाराम बनाम मांगीलाल व अन्य जिसमे हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.04.2019 पारित किया गया, के अन्तर्गत जोगाराम के संबध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था। साथ ही अपील संख्या 1960/2019 अपने आदेश दिनांक 24.06.2019 का पारित कर उक्त तथ्यो की पुष्टि की गई है। तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त अपील से पक्षकार हटाया गया है, जिसकी सहमति रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा दी गई हैं जिससे यह स्पष्ट है अपीलांट की खातेदारी तरमीम शुदा कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 240/7 से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 से कोई संबध नहीं है। अपीलांट के खसरा नंबर 240/7 एवं रेस्पोडेन्ट के खसरा नंबर 243/68 का कोई संबध नहीं है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 240/7 रकबा 25.00 बीघा अपीलांट की तरमीम शुदा कब्जे काश्त की आराजी है। जो कि अपीलांट हाजा न्यायालय के संबध में दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित करने में सफल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो को ध्यान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में न रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या 665/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2018 अपास्त किया जाता हैं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली